

(सामान्य) वनमण्डलाधिकारी उत्तर वनमण्डल, बालाघाट म.प्र. Telephone No. : (07632) 247044

e-mail : dfotnbghat@mp.gov.in

क्रमांक/तक.अ.//66 प्रति,

बालाघाट,दिनांक25/01/2024

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू–प्रबंध) वन भवन, लिंक रोड नं. 2, तुलसी नगर भोपाल (म.प्र.)

विषयः— बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के अन्तर्गत भैसवाही से जाल्दीदंड तक सड़क निर्माण कार्य किये जाने हेतु 9.912 हेक्टेयर वनभूमि (ऑनलाईन आवेदित 9.954 हेक्टेयर) म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, बालाघाट को उपयोग पर देने बाबद्। (ऑन लाईन प्रकरण क्रमांक / FP/MP/ROAD/155407/2022)

संदर्भ :--आपका पत्र क्रमांक/एफ-5/1192/2022/10-11/281 दिनांक 15.01.2024

निवेदन है, कि विषयांकित संदर्भित पत्र से प्रेषित भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक 6–एम.पी. आर. 030/2023 BHO/ दिनांक 27.12.2023 में उल्लेखित बिन्दुओं पर चाही गई जानकारी, आवेदक विभाग के पत्र क्रमांक / 153 / तक. / म.प्र.ग्रा.स.वि.प्रा. / 2024 दिनांक 19/01/2024 से प्राप्त कर आपके द्वारा चाही गई बिन्दुवार जानकारी का विवरण निम्नानुसार है :--


क्र.	बिन्दु	प्रतिवेदन
1	The comments of CWLW on adverse impact of the proposed work on wildlife of adjoining area and requirement of mitigation plan/measures if any shall be submitted.	
	This has been decided in the REC in the month of October that concerned CF will have to submit an inspection report to this Office accordingly. The State Govt kindly refer the minute of meeting dated 23.10.2023 in this regard.	_
	Further, in the meeting on 23.10.2023 it is also decided that the CA is required to be proposed/upload concerning to the area under consideration with proper demarcation accordingly. The CA area in consolidation will create confusion in near future. In this context cognisance should be taken of the minutes of he meeting dated 23.10.2023.	कलेक्टर, जिला बालाघाट के आदेश क्रमांक/रा.प्र.क्र. /13/अ–59/वर्ष 2022–23 दिनांक 12.10.2022 एवं संशोधित आदेश रा.प्र.क्र. / 0013/अ–59/वर्ष 2022–23 दिनांक 05.04.2023 द्वारा ग्राम गौनाझोला तह. परसवाड़ा पटवारी हल्का नम्बर 45 खसरा नं. 08 रकबा 30.00 हेक्टे. गैर वनभूमि (बड़े झाड़ का जंगल मद) वन विभाग को क्षतिपूरक वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु हस्तांतरित की गई है, जो निम्नानुसार दो प्रकरणों के लिये समेकित कि गई – 1. FP/MP/ROAD/155407/2022 (1.0 Parivash Portal) 9.912 Ha. 2. FP/MP/ROAD/155407/2022 (1.0 Parivash Portal) 9.912 Ha. 2. FP/MP/ROAD/459236/2024 (2.0 Parivash Portal) 4.455 Ha. कुल प्रस्तावित वनभूमि रकबा - 14.367 Ha. उपरोक्त गैरवनभूमि पर क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण (CA) योजना एवं RDF वनकक्ष क्र. 1712 सकल रकबा 47.00 हेक्टेयर वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित

		रकबा 30.00 हेक्टेयर की CA योजना 02 प्रस्तावों के लिये
		एकजाई बनाई गयी है। जिसकी तकनीकी स्वीकृति वन
		संरक्षक बालाघाट वनवृत्त (म.प्र.) द्वारा प्रदान की गई है।
		ि जपर्यक्त दोनों प्रस्तावों अन्तर्गत क्षतिपूरक वैकल्पिक
		वृक्षारोपण हेतु प्राप्त गैर वनभूमि एवं RDF क्षेत्र की KML
		File प्रस्ताव में संलग्न है। उक्त योजनाओं की प्रस्ताववार
		पृथक-पृथक KML File पोर्टल पर अपलोड़ कर दी गई है।
4		आवेदक संस्थान द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रकरण में
	also involved in the project but no such land is	संयुक्त निरीक्षण के दौरान प्रभावित वनभूमि के प्रस्ताव
	entered in online portal. This need to be correct, if required.	प्रेषित किये जाने के निर्देश थे। तत्संबंध में परिवेश पोर्टल
		पर 9.954 हेक्टे. की KML फाईल अपलोड़ की गई थी,
		जिसमें वनमण्डल द्वारा निरीक्षण उपरान्त प्रभावित वनभूमि
		रकबा 9.912 हेक्टेयर परिवेश पोर्टल के पार्ट–2 में अपलोड़
		की गई है।
		प्रस्ताव में 2.60 हेक्टेयर राजस्व भूमि एवं 9.912 हेक्टेयर वनभूमि कुल प्रस्तावित भूमि 12.512 हेक्टेयर की
		हक्टवर वनमूल कुल प्रस्तावित नून 12.512 हक्टवर को KML फाईल परिवेश पोर्टल पर दिये गये निर्देशानुसार
		KML फोइल परिपरी पोटल पर दिय गय गिंदरागुसार अपलोड कर दी गई है।
		परिवेश पोर्टल पर पार्ट–1 में एरिया संशोधन करने
		संबंधित कोई विकल्प नहीं है। अतः एरिया सुधार नहीं
		किया गया है।
5	The purpose of the proposed alignment in full	ाकेया गया है। उक्त प्रस्तावित मार्ग का निर्माण केन्द्र प्रयोजित योजना एवं
	lengh is not justified because the need to	जिसी प्रसापित माने की निर्माण के प्रयोगित वाजनी रेप नक्सल प्रभावित क्षेत्र में मार्ग के निर्माण से संबंधित है।
	connect the population between the forest	प्रस्तावित मार्ग भारत सरकार द्वारा स्वीकृत एवं पुलिस
	patches on both sides is felt but there is no need to connect the population through existing roads	अधीक्षक बालाघाट द्वारा प्रस्तावित किया गया है। उक्त
	on the other side. The comment of DFO is	मार्ग का उपयोग नक्सल गतिविधियों पर अंकुश लगाने तथा
	required in this context.	3
		पुलिस विभाग द्वारा सतत् सर्चिंग के लिए एवं आवागमन के लिये किया जाना है। अतः नक्सल प्रभावित क्षेत्र एवं
		जनहित को ध्यान में रखते हुये मार्ग निर्माण की स्वीकृति
		की अनुशंसा की जाती है।

(अभिनव पल्लव) भा.व.से. वनमण्डलाधिकारी उत्तर वनमण्डल्ल (सा.) बालाघाट बालाघाट,दिनांक 2*5/* 01 / 2024

पृष्ठां. क्रमांक/तक.अ./ 167 प्रतिलिपि :--

- प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन्यप्राणी अभिरक्षक (CWLW) वन भवन लिंक रोड़ नं. 2, तुलसी नगर भोपाल की ओर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/तक.अ./120 दिनांक 19.01.2024 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित।
- वन संरक्षक, बालाघाट वनवृत्त, बालाघाट (म.प्र.) की ओर उपरोक्त विषयांकित संदर्भित पत्र जो आपकी ओर पृष्ठांकित प्रेषित है, के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।
- 3. आवेदक विभाग— महाप्रबंधक, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन ईकाई क्रमांक—1, बालाघाट, की ओर उपरोक्त विषयांकित संदर्भाकित संबंध में आपके द्वारा प्रेषित जानकारी के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



कार्यालय महाप्रबंधक

म. प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र.--1, बालाघाट ई मेल-gm_bgtpiu1@rediffmail.com फोन नं.-07632 240334

पत्र क्र. 253 / तक/मप्रग्रासप्रा/2024 प्रति,

बालाघाट दिनांक ?9 /51 / 2024

वनमंडलाधिकारी उत्तर (सा.) वनमंडल बालाघाट (म.प्र.)

बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWEA) के अन्तर्गत भैसवाही विषयः– से जाल्दीदंड तक सडक निर्माण कार्य किये जाने हेतु 9.912 हेक्टेयर वनभूमि (ऑनलाईन आवेदित 9.954 हे.) मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क प्राधिकरण बालाघाट को उपयोग पर देने बाबत्। (ऑनलाईन प्रकरण क्रमांक FP/MP/Road/155407/2022)

1.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म.प्र. भोपाल का प.क्र. एफ–5⁄ संदर्भ :--1192/2022/10-11/281 भोपाल दिनांक 15.01.2024

2.भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र क्र. / 6 एमपीआर 030/2023-बीएचओ दिनांक 27.12.2023

जानकारी चाही गई है। उक्त संबंध में संबंधित वांछित जानकारियों का विवरण निम्नानुसार है:--

क्रं.	बिन्दु	्र , प्रतिवेदन
1	The Comments of CWLW on adverse impact of the proposed work on wildlife of adjoining are and requirement of mitigation plan/measures if any shall be submitted.	a
2	This has been decided in the REC in the month o October that concerned CF will have to submit ar inspection report to this office accordingly. The State Govt. Kindly refer the minute of meeting dated 23.10.2023 in this regard.	
3	Further in the meeting on 23.10.2023 it is also decided that the CA is required to be proposed/upload concerning to the area under consideration with proper demarcation accordingly. The CA area in consolidation will create confusion in near future in this context cognizance should be taken of the minutes of the meeting dated 23.10.2023	परसवाड़ा पटवारी हल्का नं. 45 खसरा 08 रकबा 30.00 हेक्टयर की वैकल्पिक वृक्षारोपण (CA) हेतु प्राप्त गैर वन भूमि (मद बड़े झाड़ के जंगल) की KML फाईल एवं जियोरिफरेंस मैप अपलोड की गई है। जिसमें दो प्रस्ताव प्रकरण क्रमांक 1. FP/MP/Road/155407/2022 (1.0 वर्जन)) 9.912 हेक्टर 2. FP/MP/Road/459236/2024 (2.0 वर्जन)) 4.455 हेक्टर कुल 14.367 हेक्टर के लिए एकजाई है। कलेक्टर बालाघाट के आदेश रा.प्र.क्र. / 13/अ–59/ वर्ष 2022–23 दिनांक 12.10.2022 एवं
		संशोधित आदेश रा.प्र.क्र. / 0013 / अ—59 / वर्ष 2022—23 दिनांक 05.04.2023 संलग्न है।
a e		दर्शित बिन्दु के संबंध में लेख है कि प्रकरण में संयुक्त निरीक्षण के दौरान वन प्रभावित भूमि के प्रस्ताव प्रेषित किये जाने के निर्देश थे। तत्संबंध में परिवेश पोर्टल पर 9.954 हेक्टर की KML फाइल अपलोड की गई थी जिसमें वन मंडल द्वारा परिवेश पोर्टल में पार्ट–2 में निरीक्षण उपरांत 9.912 हेक्टर प्रभावित वन भूमि ली गई। प्रस्ताव में 2.60 हेक्टर गैर राजस्व भूमि एवं 9.912 हेक्टर वन भूमि कुल प्रस्तावित भूमि 12.512 हेक्टर की KML फाइल परिवेश पोर्टल पर दिये गये निर्देशो के तहत अपलोड की गई है। परिवेश पोर्टल पर पार्ट–1 में एरिया सुधार करने के संबंध में कोई विकल्प नही है।

The purpose of the proposed alignment in full length is not justified because the need to connect the population between the forest patches on both sides is felt but there is no need to connect the population through existing roads on the other side. The comment of DFO is required in this context.

> मेहाप्रबेधक म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण पंरियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट

पृ. क्र. १-5⁻²1 / तक / मप्रग्रासविप्रा / 2024 प्रतिलिपी:—

बालाघाट, दिनांक 19 /61 / 2024

- प्रधान मुख्य वन संरक्षक महोदय (भू–प्रबंध) सतपुड़ा भवन मध्यप्रदेश भोपाल की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित है।
- मुख्य वन संरक्षक महोदय बालाघाट, वनवृत्त बालाघाट की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सादर सूचनार्थ उपरोक्त विषयांकित संदर्भित पत्र के तारतम्य में सादर सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः – उपरोक्तानुसार।

ं म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट